



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, सोमवार, 19 दिसम्बर, 2011 ई0

अग्रहायण 28, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

समाज कल्याण अनुभाग

संख्या 1425 / XVII-2 / 2011-01(14) / 2008

देहरादून, 19 दिसम्बर, 2011

अधिसूचना

प0 आ0-176

राज्यपाल, माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 56 वर्ष 2007) की धारा 32 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तराखण्ड माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2011

भाग-एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा विस्तार।

- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2011 है।
- (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
- (3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड में होगा।

परिभाषाएं।

2।

(1) इस नियमावली में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

- (क) "अधिनियम" से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 56 वर्ष 2007) अभिप्रेत है;
- (ख) "बालक" के अन्तर्गत पुत्र, पुत्री, पौत्र और पौत्री हैं, किन्तु इसमें कोई अव्यस्क सम्मिलित नहीं है;
- (ग) "भरण-पोषण" में आहार, वस्त्र, निवास और चिकित्सीय परिचर्या और उपचार उपलब्ध कराना सम्मिलित है;
- (घ) "अव्यस्क" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसके बारे में भारतीय व्यस्कता अधिनियम, 1875 के उपबन्धों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता की आयु प्राप्त नहीं की है;
- (ङ) "माता-पिता" से पिता या माता अभिप्रेत है, चाहे वह, यथास्थिति, जैविक, दत्तक या सौतेला पिता या सौतेली माता है, चाहे माता या पिता कोई वरिष्ठ नागरिक हैं या नहीं ;
- (च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;
- (छ) "सम्पत्ति" से किसी प्रकार की सम्पत्ति अभिप्रेत है, चाहे वह जंगम या स्थावर, पैतृक या स्वयं अर्जित, मूर्त या अमूर्त है और जिसमें ऐसी सम्पत्ति में अधिकार या हित सम्मिलित है;
- (ज) "नातेदार" से निःसंतान वरिष्ठ नागरिक का कोई विधिक वारिस अभिप्रेत है, जो अव्यस्क नहीं है तथा उसकी मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति उसके कब्जे में है या वह विरासत में प्राप्त करेगा ;
- (झ) "वरिष्ठ नागरिक" से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो भारत का नागरिक है और जिसने साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है ;
- (ञ) किसी संघ राज्य क्षेत्र के सम्बन्ध में "राज्य सरकार" से संविधान के अनुच्छेद, 239 के अधीन नियुक्त उसका प्रशासक अभिप्रेत है ;
- (ट) "अधिकरण" से धारा 7 के अधीन गठित भरण-पोषण अधिकरण अभिप्रेत है ;

- (ठ) "अधिनियम" से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है ;
- (ड) "कल्याण" से वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवश्यक आहार, स्वास्थ्य, देख-रेख, आमोद-प्रमोद केन्द्रों और अन्य सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करना अभिप्रेत है।
- (2) अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के, जो इन नियमों में परिभाषित नहीं हैं, वही अर्थ होंगे, जो अधिनियम में क्रमशः उनके लिए दिए गए हैं।

भाग-दो

भरण-पोषण अधिकरण और सुलह अधिकारियों के रूप में नियुक्ति के लिए प्रक्रिया

सुलह अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए पैनल।

3. (1) प्रत्येक अधिकरण धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन सुलह अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगा, जिसमें धारा 18 के अधीन पदाभिहित भरण-पोषण अधिकारी सम्मिलित होंगे।
- (2) धारा 18 के अधीन पदाभिहित भरण-पोषण अधिकारी के अतिरिक्त उपनियम (1) के अधीन सन्दर्भित व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन चुना जायेगा; अर्थात् -

(क) वह वरिष्ठ नागरिकों और/अथवा निर्बल वर्ग के कल्याण अथवा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, महिला सशक्तिकरण, समाज कल्याण, ग्रामीण विकास अथवा सम्बन्धित क्षेत्र के लिए कार्यरत किसी संगठन से सम्बद्ध हो और उसका न्यूनतम दो वर्ष की निष्कलंक सेवा का रिकार्ड होना चाहिए ;

(ख) वह संगठन का/की वरिष्ठ पदाधिकारी होना/होनी चाहिए; और

(ग) उसे कानून की अच्छी जानकारी होनी चाहिए ;

परन्तु यह कि जो व्यक्ति उपर्युक्त प्रकार के किसी संगठन से जुड़ा नहीं है, उपनियम (1) के अधीन उल्लिखित पैनल में निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर सम्मिलित किया जा सकता है ; अर्थात् -

(एक) उसका खण्ड (क) में उल्लिखित एक या अधिक क्षेत्रों में अच्छी और निष्कलंक लोक सेवा का रिकार्ड होना चाहिए ; और

(दो) उसे कानून की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।

(3) अधिकरण उपनियम (1) में उल्लिखित पैनल को प्रत्येक वर्ष में न्यूनतम दो बार कमशः पहली जनवरी और पहली जुलाई तथा किसी परिवर्तन के प्रवृत्त होने पर प्रत्येक समय सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करेगा।

भरण-पोषण के लिए आवेदन पत्र के भरे जाने के लिए प्रक्रिया और रजिस्ट्रीकरण।

4. (1) धारा 4 के अधीन भरण-पोषण के लिए आवेदन पत्र धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में उल्लिखित रीति से प्ररूप 'क' (जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा) में दिया जायेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन-पत्र के प्राप्त होने पर पीठासीन अधिकारी -

(क) राज्य सरकार द्वारा निर्देशित ऐसे प्ररूप में भरण-पोषण दावा मामला पंजिका में आवश्यक विवरण दर्ज करायेगा ; और

(ख) नियम 5 में किसी बात के होते हुए भी दस्ती मामलों में आवेदक को प्ररूप 'ख' (जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा) में अभिस्वीकृति दी जाएगी। आवेदक अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को और अन्य मामलों में इसे डाक द्वारा भेजा जाएगा तथा प्राप्ति रसीद में अन्य बातों के साथ-साथ आवेदन पत्र की रजिस्ट्रीकरण संख्या दी जाएगी।

(3) जहाँ अधिकरण भरण-पोषण दावे का स्वतः संज्ञान लेगा वहाँ पीठासीन अधिकारी तथ्यों को अभिनिश्चित करने के उपरान्त अधिकरण के कर्मचारिवृन्द से प्ररूप 'क' (जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा) और यथासम्भव सम्बन्धित वरिष्ठ नागरिक अथवा माता-पिता द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा उसे अधिप्रमाणित कराएगा तथा उपर्युक्त उपनियम (2) के खण्ड (क) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत कराएगा।

आवेदन-पत्र की प्रारम्भिक जाँच।

5. (1) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्राप्त आवेदन पत्र के प्राप्त होने के उपरान्त अधिकरण अपना समाधान करेगा कि -

(क) आवेदन-पत्र पूर्ण है ; और

(ख) प्रथम दृष्ट्या धारा 4 के निबन्धनों के अनुसार प्रतिपक्षी आवेदक के भरण-पोषण के लिए बाध्य हैं।

- (2) ऐसे मामलों में, जहाँ अधिकरण आवेदन-पत्र में कोई कमी पाता है तो ऐसी कमी को युक्तियुक्त सुधारने के लिए समुचित समय के भीतर आवेदक को निर्देशित कर सकता है।
6. प्रतिपक्षी को नोटिस दिया जाना।
- (1) नियम 5 के उपनियम (1) में उल्लिखित बिन्दुओं पर अधिकरण के समाधान हो जाने पर उसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध भरण-पोषण के लिए आवेदन किया गया है, को कारण बताने के लिए कि आवेदन स्वीकृत क्यों न किया जाए, निर्देशित करते हुए आवेदन-पत्र की एक प्रति और उसके संलग्नकों सहित प्ररूप 'ग' (जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा) में निम्नलिखित रीति से नोटिस जारी कराया जायेगा:—
- (क) यदि आवेदक यह चाहता है तो दस्ती वितरण द्वारा अथवा आदेशिका तामीलकर्ता के माध्यम से ; अथवा
- (ख) रसीदी पंजीकृत डाक द्वारा।
- (2) नोटिस में प्रतिपक्षी से नोटिस में निर्दिष्ट तारीख को स्वयं उपस्थित होने और लिखित में कारण बताने की अपेक्षा होगी कि क्यों नहीं आवेदक को भरण-पोषण स्वीकृत कर दिया जाय तथा इसकी सूचना भी दी जायेगी कि ऐसा न करने पर अधिकरण एक-पक्षीय कार्यवाही करेगा।
- (3) उपनियम (1) और (2) के अधीन नोटिस निर्गत करने के साथ-साथ उपनियम (2) में उल्लिखित तारीख से भी आवेदक को प्ररूप 'घ' (जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा) में सूचित किया जायेगा।
- (4) उपनियम (2) और (3) के अधीन दिये गये नोटिस की तामील के प्रयोजन के लिए सिविल प्रकिया संहिता, 1908 के आदेश 5 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।
7. प्रतिपक्षी द्वारा उपस्थित न होने की दशा में प्रकिया।
- नोटिस प्राप्त होने के उपरान्त भी यदि किसी मामले में प्रतिपक्षी नोटिस का प्रत्युत्तर देने/कारण बताने में असफल रहता है तो अधिकरण एक-पक्षीय कार्यवाही करते हुए आवेदक से साक्ष्य लेगा और ऐसी अन्य जाँच करेगा, जो वह उचित समझे और आवेदन-पत्र का निस्तारण करते हुए आदेश पारित करेगा।
8. दावे की स्वीकृति के मामले में प्रकिया।
- नियम 6 के अधीन जारी नोटिस में तारीख निश्चित करने पर किसी मामले में, यदि प्रतिपक्षी उपस्थित होता है और आवेदक के भरण-पोषण के दायित्व को स्वीकार करता है और दोनों पक्ष आपसी सहमति से मामले को निस्तारित करना चाहते हैं तो अधिकरण तदनुसार आदेश पारित करेगा।

बालक और नातेदारों पर मुकदमा चलाने के लिए प्रक्रिया।

94

(1) धारा 5 की उपधारा (5) के परन्तुक के अधीन प्रतिपक्षी किसी अन्य बालक तथा नातेदार के द्वारा नियम 6 के उपनियम (2) के अधीन जारी नोटिस में विनिर्दिष्ट सुनवाई की प्रथम तारीख पर आवेदक से, पक्षकार बनाने के लिए आवेदन-पत्र को प्रस्तुत किया जाएगा;

परन्तु यह कि ऐसा कोई आवेदन-पत्र प्रथम सुनवाई के पश्चात् तब तक स्वीकार नहीं किया जायेगा, जब तक कि प्रतिपक्षी द्वारा उसके पश्चात् आवेदन-पत्र को वापस करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताया जाता।

(2) उपनियम (1) के अधीन कोई आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर अधिकरण को यदि उसका ऐसे प्रार्थना-पत्र की युक्ति-युक्तता के बारे में पक्षकारों की सुनवाई के पश्चात् प्रथम दृष्टया समाधान हो जाता है तो वह ऐसे अन्य बालक अथवा नातेदार को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यों नहीं उनके विरुद्ध एक पक्षकार के रूप में मुकदमा चलाया जाय और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उन्हें पक्षकार बनाने अथवा अन्यथा के सम्बन्ध में आदेश पारित करेगा।

(3) उपनियम (2) के अधीन किसी मामले में, यदि अधिकरण मुकदमा चलाने का आदेश पारित करता है तो वह नियम 6 के अनुसार प्ररूप 'ग' (जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा) में ऐसे पक्षकार को, जिसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया है, नोटिस जारी कराएगा।

सुलह अधिकारी को सन्दर्भ।

10.

(1) यदि नियम 6 के अधीन जारी नोटिस में नियत तारीख को प्रतिपक्षी उपस्थित होता है और भरण-पोषण दावे के विरुद्ध कारण बताता है तो अधिकरण दोनों पक्षकारों की राय लेकर, कि क्या मामले को सुलह अधिकारी को सन्दर्भित कर दिया जाय और यदि इस सम्बन्ध में उनकी सहमति प्राप्त होती है तो अधिकरण उनसे यह पूछेगा कि वह मामले को नियम 3 के अधीन तैयार किये गये पैनल में सम्मिलित व्यक्ति को सन्दर्भित कराना चाहते हैं या ऐसे किसी व्यक्ति को, जो दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य हो।

(2) यदि दोनों पक्षकार किसी व्यक्ति के विषय में सहमत हैं, चाहे वह नियम 3 के अधीन बने पैनल में सम्मिलित हो अथवा नहीं तो अधिकरण, ऐसे मामले में, ऐसे व्यक्ति को सुलह अधिकारी नियुक्त

करेगा और उसे प्ररूप 'ड' (जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा) में पत्र के माध्यम से सन्दर्भित करते हुए उससे सन्दर्भ प्राप्त होने की तारीख से अधिकतम एक माह की अवधि के भीतर, ऐसे समझौते का, जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो, का हल निकालने या प्रयास करने का अनुरोध करेगा।

(3) प्ररूप 'ड' (जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा) में सन्दर्भित मामले में आवेदन-पत्र की प्रति और प्रतिपक्षी की उत्तर की प्रति भी संलग्न की जायेगी।

सुलह अधिकारी द्वारा कार्यवाही।

11.

(1) नियम 10 के अधीन सन्दर्भ प्राप्त होने पर सुलह अधिकारी आवश्यकतानुसार दोनों पक्षकारों के साथ बैठक करेगा और सन्दर्भ प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर, दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य समझौते का हल ढूँढने का प्रयास करेगा।

(2) यदि सुलह अधिकारी दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य समझौता कराने में सफल हो जाता है तो वह प्ररूप 'च' (जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा) में दोनों पक्षकारों के हस्ताक्षर प्राप्त कर समझौता ज्ञापन तैयार करेगा और रिपोर्ट सहित प्ररूप 'छ' (जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा) में अधिकरण से प्राप्त मामले के समस्त अभिलेखों के साथ अधिकरण को सन्दर्भ प्राप्त होने की तारीख से एक माह के भीतर रिपोर्ट सहित वापस भेज देगा।

(3) यदि सुलह अधिकारी नियम 10 के अधीन सन्दर्भित मामले में एक माह के भीतर समझौता करने में विफल रहता है तो वह अधिकरण से प्राप्त प्रपत्रों को रिपोर्ट के साथ प्ररूप 'ज' (जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा) में समझौते के बारे में किये गये प्रयासों को दर्शाते हुए वापस करेगा और दोनों पक्षकारों के मध्य मतभेद के ऐसे बिन्दुओं का उल्लेख करेगा, जिनके कारण सुलह नहीं हो पायी।

सुलह अधिकारी के समक्ष समझौता होने की दशा में अधिकरण द्वारा कार्यवाही।

12.

(1) यदि अधिकरण में नियम 11 के उपनियम (2) के अधीन सुलह अधिकारी से समझौता ज्ञापन सहित रिपोर्ट प्राप्त होती है तो वह दोनों पक्षकारों को नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख को उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी करेगा और समझौते की पुष्टि करेगा।

(2) यदि उपर्युक्त किसी मामले में नियत तारीख को पक्षकार अधिकरण के समक्ष उपस्थित होते हैं और सुलह अधिकारी के समक्ष समझौते की पुष्टि करते हैं तो अधिकरण ऐसे समझौते की सहमति के अनुरूप आदेश पारित करेगा।

अन्य मामलों में
अधिकरण द्वारा
कार्यवाही।

13. (1) यदि :-

- (क) आवेदक और प्रतिपक्षी नियम 10 के अनुरूप मामले को सुलह अधिकारी को सन्दर्भित करने के लिए सहमत नहीं होते हैं; या
- (ख) नियम 10 के अधीन नियुक्त सुलह अधिकारी, नियम 11 के उपनियम (3) के अधीन दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य समझौता कराने में अपनी असमर्थता सम्बन्धी रिपोर्ट भेजता है ; या
- (ग) एक माह की अभिनिश्चित अवधि के भीतर सुलह अधिकारी से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है ; या
- (घ) नियम 12 के उपनियम (1) के अधीन जारी नोटिस के उत्तर में एक या दोनों पक्षकार सुलह अधिकारी द्वारा किये गये समझौते से इन्कार करते हैं तो अधिकरण दोनों पक्षकारों को अपने-अपने दावों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देगा और धारा 8 की उपधारा (1) में उपबन्धित सरसरी तौर पर जाँच के पश्चात् ऐसा आदेश पारित करेगा, जैसा वह उचित समझे।
- (2) नियम 7, नियम 8 या उपनियम (1) के अधीन अधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश अधिकरण द्वारा अधिनिर्णीत मामले के तथ्यों तथा आदेश पारित करने के कारण दर्शाते हुए सकारण आदेश होगा।
- (3) उपनियम (1) के अधीन आदेश पारित करते समय प्रतिपक्षी द्वारा आवेदक को भरण-पोषण भुगतान किये जाने हेतु निर्देश देते समय अधिकरण निम्नलिखित बातों पर विचार करेगा :-
- (क) आवेदक के मूलभूत आवश्यकताओं विशेष रूप से भोजन, वस्त्र, आवास और स्वास्थ्य देखभाल की पूर्ति हेतु आवश्यक धनराशि ;
- (ख) प्रतिपक्षी की आय ; और
- (ग) आवेदक की सम्पत्ति का मूल्य और उससे प्राप्त होने वाली वास्तविक और सम्भावित आय, यदि कोई हो, जो प्रतिपक्षी के कब्जे में हो या जिसे वह उत्तराधिकार में प्राप्त करेगा।
- (4) प्रत्येक पारित आदेश की प्रति चाहे वह अन्तिम हो अथवा अन्तरिम, आवेदन करने पर आवेदक और प्रतिपक्षी अथवा उनके प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से अथवा आदेशिका तामीलकर्ता के माध्यम से दी जाएगी या पंजीकृत डाक से भेजी जायेगी।

- अधिकतम भरण • 14. भरण-पोषण की अधिकतम धनराशि, जिसे प्रतीपक्षी द्वारा भुगतान पोषण भत्ता। किए जाने के लिए अधिकरण आदेश देगा। रु0 10,000.00 मात्र (रु0 दस हजार मात्र) प्रतिमाह होगी, जो कि प्रतिपक्षी की सभी स्रोतों से प्राप्त मासिक आय को उसके परिवार के व्यक्तियों की संख्या से, जिसमें आवेदक/आवेदकों को भी गिना जाएगा, से भाग देने के पश्चात् प्राप्त राशि से अधिक नहीं होगी।

भाग-तीन

अपीलीय अधिकरण की प्रक्रिया

- अपील का प्रारूप। 15. धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपील अपीलीय अधिकरण के समझ प्ररूप 'झ' (जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा) में प्रस्तुत की जायेगी और भरण-पोषण अधिकरण के प्रतिवादित आदेश की प्रति संलग्न की जायेगी।
- अपील का रजिस्ट्रीकरण और अभिस्वीकृति। 16. कोई अपील के प्राप्त होने पर अपीलीय अधिकरण, राज्य सरकार द्वारा निर्देशित ऐसे प्ररूप पर इस प्रयोजन के लिए रखे गये रजिस्टर में दर्ज करेगा और ऐसी अपील के रजिस्ट्रीकरण के पश्चात् आवेदक को अपील की संख्या और सुनवाई की अगली तारीख सहित प्ररूप 'ञ' (जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा) पर अभिस्वीकृति देगा।
- प्रत्यर्धी को सुनवाई का नोटिस। 17. (1) किसी अपील के प्राप्त होने पर अपीलीय अधिकरण मामले की प्रविष्टि करने के उपरान्त और अपील संख्या दर्शाते हुए अपनी मुद्रा और हस्ताक्षर से प्रत्यर्धी को प्ररूप 'ट' (जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा) पर नोटिस जारी कराएगा।
(2) उपनियम (1) के अधीन दिया गया नोटिस रसीदी पंजीकृत डाक द्वारा अथवा आदेशिका तामीलकर्ता के माध्यम से दिया जायेगा।
(3) उपनियम (1) के अधीन जारी किए गए नोटिस के प्रयोजन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 5 के उपबन्ध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

भाग-चार

धारा 19 के अधीन स्थापित वृद्धावस्था आवास प्रबन्धन योजना

- गरीब वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था आवास प्रबन्धन योजना। 18. (1) धारा 19 के अधीन स्थापित वृद्धावस्था आवास निम्नलिखित सन्नियमों और मानकों के अनुसार चलाये जायेंगे :-
(क) आवासों में भौतिक सुविधाएं होंगी और अनुसूची में अधिलिखित परिचालन सन्नियमों के अनुसार चलाए जायेंगे;

(ख) आवास के निवासियों का चयन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा :-

(एक) आवास में रहने के लिए इच्छुक, गरीब वरिष्ठ नागरिकों से समुचित अन्तरालों पर, परन्तु प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार, जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में परिभाषित किया गया है, आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाएंगे ;

(दो) यदि किसी समय आवेदकों की संख्या आवास में प्रवेश के लिए उपलब्ध स्थानों की संख्या से अधिक हो तो आवासियों का चयन निम्नलिखित रीति से किया जायेगा :-

(अ) अपेक्षाकृत अधिक गरीब और जरूरतमन्द आवेदकों को वरीयता दी जायेगी ;

(आ) अन्य बातें समान होने पर अपेक्षाकृत अधिक वृद्ध नागरिकों को वरीयता दी जायेगी ; और

(इ) अन्य बातों के समान होने पर पुरुष आवेदकों की अपेक्षा महिला आवेदकों को वरीयता दी जायेगी।

यदि जिलाधिकारी या कोई सक्षम प्राधिकारी का, जो उसके द्वारा प्रयोजन के लिए पदाभिहित हो, समाधान हो जाता है कि वरिष्ठ नागरिक औपचारिक आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है, परन्तु उसे आश्रय की बहुत अधिक आवश्यकता है तो अनपढ़ और/अथवा अधिक शिथिलांग वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी औपचारिक आवेदन के प्रवेश दिया जा सकेगा।

(तीन) जब आवेदन-पत्रों या मामलों में प्रवेश के लिए विचार हो रहा हो तो धर्म अथवा जाति के आधार पर कोई विभेद नहीं किया जायेगा ;

(चार) पुरुष और महिला निवासी, रक्त नातेदार अथवा विवाहित युगल को छोड़कर पुरुष और महिला निवासियों के लिए अलग-अलग निवास उपलब्ध कराये जायेंगे ;

(पाँच) समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों और दिशा-निर्देशों के अनुसार गठित प्रबन्धन समिति के द्वारा वृद्धावस्था आश्रम के दिन-प्रतिदिन के मामलों का प्रबन्धन किया जायेगा। ऐसे निवासियों का भी समिति में समुचित प्रतिनिधित्व होगा।

- (2) राज्य सरकार समय-समय पर उपनियम (1) में अधिकथित सन्नियमों और मानकों तथा अनुसूची के अनुसार वृद्धावस्था आवास के प्रबन्धन और प्रवेश के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश/आदेश जारी कर सकेगी।

भाग-पाँच

जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य और शक्तियाँ

जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य और शक्तियाँ।

19. (1) जिला मजिस्ट्रेट उपनियम (2) और (3) में उल्लिखित कर्तव्यों का निर्वहन और शक्तियों का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करेगा कि उसके जिले में अधिनियम के उपबन्धों का समुचित रूप से पालन हो रहा है।
- (2) जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य :-
- (क) यह सुनिश्चित करना कि जिले के वरिष्ठ नागरिकों का जीवन और सम्पत्ति संरक्षित है और वे सुरक्षित और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सकें ;
- (ख) भरण-पोषण के उद्देश्य से अधिकरणों और कार्य का अनुश्रवण, देखना, और निगरानी करना, भरण-पोषण के लिए दिए गए आवेदन-पत्रों का समय से उचित निस्तारण और अधिकरणों के आदेशों का निष्पादन सुनिश्चित करना ;
- (ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि जिले में वृद्धावस्था आवास इन नियमों और राज्य सरकार द्वारा दिये गये अन्य कोई दिशा-निर्देशों तथा आदेशों में अधिकथित मानकों के अनुसार हैं, उनकी कार्य प्रणाली का अनुश्रवण और निगरानी करना ;
- (घ) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के कार्यक्रमों और अधिनियम के उपबन्धों का व्यापक और नियमित प्रचार सुनिश्चित करना ;
- (ङ) जिले में कार्यरत पंचायतों, नगर-पालिकाओं, नेहरू युवा केन्द्रों, शैक्षिक संस्थाओं और विशेष रूप से उनकी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों, संगठनों, विशेषज्ञों, सामाजिक कार्य

- कर्ताओं आदि से समन्वय एवं प्रोत्साहन ताकि उनके संसाधनों तथा प्रयासों का जिले के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रभावी रूप से एकत्रीकरण किया जा सकें ;
- (च) प्राकृतिक आपदा और अन्य आकस्मिकताओं की घटना पर वरिष्ठ नागरिकों को समय से सहायता और राहत उपलब्ध कराने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित करना ;
- (छ) जो वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न विभागों और स्थानीय निकायों के अधिकारियों को तथा वरिष्ठ नागरिकों के कर्तव्यों के प्रति समय-समय पर संवेदनशील बनाना;
- (ज) ऐसे नगरों को छोड़कर, जिनमें पुलिस कमिश्नर तैनात हैं, जिले में वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित मामलों की जाँच और विचारण की प्रगति का पुनर्विलोकन करना ;
- (झ) पंचायत, डाकघरों, खण्ड विकास अधिकारियों, तहसील कार्यालयों, जिला न्यायालयों, पुलिस स्टेशनों इत्यादि सामान्य नागरिकों के सम्पर्क में रहने वाले कार्यालयों में भरण-पोषण के लिए विहित आवेदन-पत्रों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;
- (ञ) आरम्भ में जिला मुख्यालयों पर वरिष्ठ नागरिकों को समर्पित सहायता केन्द्रों (हेल्पलाईन) को प्रोत्साहित करना ; और
- (ट) समय-समय पर इस सम्बन्ध में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा राज्य सरकार के आदेश द्वारा दिये गये अन्य कृत्यों का सम्पादन करना ।
- (3) उपनियम (2) में उल्लिखित कर्तव्यों को सम्पादित करने की दृष्टि से जिला मजिस्ट्रेट आवश्यकतानुसार ऐसे निदेश जारी करने के लिए सक्षम होगा, जो जिले में कार्यरत किसी सम्बन्धित स्थानीय सरकार या सांविधिक एजेन्सी या निकाय को राज्य सरकार के सामान्य दिशा निर्देशों पर, जो इस अधिनियम और नियमों के असंगत न हो और विशेष रूप से :-

(क) राज्य सरकार में पुलिस, स्वास्थ्य और संचार विभागों के अधिकारियों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण का कार्य व्यवहृत करने वाले विभागों ;

(ख) भरण-पोषण अधिकरणों और सुलह अधिकारियों ;

(ग) पंचायत तथा नगर पालिकाओं ; और

(घ) शिक्षा संस्थाओं को।

भाग - छः

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति का संरक्षण

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति के संरक्षण के लिए कार्य योजना।

20. (1) जिला पुलिस अधीक्षक और जिन नगरों में पुलिस कमिश्नर है, ऐसा पुलिस कमिश्नर वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति के संरक्षण के लिए समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अधीन सभी आवश्यक कदम उठाएगा।
- (2) उपनियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना :-
- (क) प्रत्येक पुलिस स्टेशन उसके क्षेत्राधिकार में निवास कर रहे वरिष्ठ नागरिकों की एक अद्यतन सूची विशेष रूप से, जो अकेले रह रहे हों, रखेगा। (उसके घर में ऐसा व्यक्ति, जो वरिष्ठ नागरिक नहीं है, निवास नहीं कर रहा है ;)
- (ख) पुलिस स्टेशन का/की प्रतिनिधि यथासम्भव सामाजिक कार्यकर्ता या स्वयं सेवक के साथ ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के घर पर न्यूनतम माह में एक बार के अन्तराल पर जायेगा और इसके अतिरिक्त उनकी प्रार्थना पर यथाशीघ्र सहायता के लिए जायेगा ;
- (ग) स्थानीय पुलिस द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों/समस्याओं पर तुरन्त ध्यान दिया जाएगा ;
- (घ) प्रत्येक पुलिस स्टेशन के लिए एक या एक से अधिक स्वयं सेवकों की समिति बनायी जायेगी, जो वरिष्ठ नागरिकों, विशेष रूप से जो अकेले रह रहे हों, और पुलिस तथा जिला प्रशासन के मध्य नियमित सम्पर्क बनाए रखना, सुनिश्चित करेगी ;

- (ड) जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस कमिश्नर, जैसी भी स्थिति हो, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन और सम्पत्ति के संरक्षण के लिए उठाये गये कदमों के बारे में नियमित अन्तराल पर संचार माध्यमों (मीडिया) और पुलिस स्टेशनों के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित कराएगा ;
- (च) प्रत्येक पुलिस स्टेशन में वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध किए गए अपराधों से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण विवरणियाँ ऐसे प्ररूप पर, जैसा कि आदेश द्वारा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करें, एक अलग रजिस्टर रखा जाएगा ;
- (छ) खण्ड (छ) में सन्दर्भित रजिस्टर जनता के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा तथा पुलिस स्टेशन का निरीक्षण करने वाला प्रत्येक अधिकारी और रजिस्टर में दिखाई गई प्रास्थिति का अनिवार्यतः पुनर्विलोकन करेगा ;
- (ज) पुलिस स्टेशन प्रत्येक माह की दस तारीख तक पुलिस अधीक्षक को ऐसे अपराध की मासिक सूचना भेजेगा ;
- (झ) वरिष्ठ नागरिकों के "विधि निषेध" का उनकी सुरक्षा के हित में व्यापक प्रचार किया जाएगा ;
- (ञ) ऐसे नागरिकों के अनुरोध पर, घरेलू नौकर हो या वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के पूर्ववृत्त का तत्काल सत्यापन किया जायेगा ;
- (ट) वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा हेतु उनके पड़ोस में रह रहे नागरिकों, आवासीय कल्याण संघों, युवा स्वयं सेवकों, गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर सामुदायिक नीति तैयार की जाएगी ;
- (ठ) जिला पुलिस अधीक्षक विगत माह की अवधि में वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध घटित अपराधों की प्रास्थिति के बारे में प्रत्येक माह की 20 तारीख तक पुलिस महानिदेशक और जिला मजिस्ट्रेट को पंजीकृत अपराधों के अभियोजन और उनकी जाँच की प्रगति तथा माह की अवधि में उठाये गये निवारक उपायों की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ;
- (ड) जिला अधिकारी, रिपोर्ट, नियम 22 के अधीन जिला स्तरीय समन्वयक तथा अनुश्रवण समिति के समक्ष रखवाएगा ;
- (ड) पुलिस महानिदेशक, खण्ड (ठ) के अधीन प्रस्तुत रिपोर्टों को संकलित कर राज्य सरकार को प्रस्तुत कराएगा तथा अन्यथा अतिरिक्त 21 के अधीन गठित वरिष्ठ नागरिकों की राज्य

परिषद् के समक्ष रखेगा। प्रत्येक तिमाही में तथा प्रतिवर्ष सूचना को एकत्रित कर, प्रस्तुत करेगा।

भाग - सात

वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद् और जिला समितियाँ

वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद्।

21. (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उसे सलाह देने हेतु वरिष्ठ नागरिकों की एक राज्य परिषद् गठित करेगी और वह वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित ऐसे कृत्यों का पालन करेगी, जैसा राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे।
- (2) राज्य परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे ; अर्थात् :-
- (क) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से - पदेन अध्यक्ष सम्बन्धित राज्य सरकार का मंत्री
- (ख) विकलांगता, वरिष्ठ नागरिकों के - पदेन सदस्य कल्याण, स्वास्थ्य, गृह, संचार, पेन्शन और वरिष्ठ नागरिकों से सम्बन्धित अन्य विषयों को देखने वाले विभागों के सचिव
- (ग) राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित ऐसी - सदस्य संख्या में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं में से राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य
- (घ) राज्य सरकार द्वारा यथा निर्धारित ऐसी - सदस्य संख्या में, परन्तु परिषद् के पदेन सदस्यों की संख्या से न्यून नहीं, में ऐसे राज्य सरकार द्वारा नामित प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिक
- (ङ) राज्य में वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण -पदेन सदस्य सचिव विभाग का निदेशक
- (3) राज्य परिषद् छः माह में न्यूनतम एक बार बैठक आहूत करेगी।
- (4) परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल, पदेन सदस्यों को छोड़कर, परिषद् की कार्यवाही के नियम और ऐसे अन्य आनुषांगिक मामले ऐसे व्यवहृत होंगे, जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

वरिष्ठ नागरिकों की
जिला समिति।

22. (1) राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रत्येक जिले में जिला स्तर पर अधिनियम के प्रभावी और समन्वित क्रियान्वयन के लिए वरिष्ठ नागरिकों हेतु एक जिला समिति का गठन करेगी और जिला स्तर पर वरिष्ठ नागरिकों के सम्बन्ध में ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी, जो राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जायें।
- (2) राज्य समिति प्रत्येक त्रैमास में एक बैठक आहूत करेगी।
- (3) जिला समिति का गठन, सदस्यों का कार्यकाल (पदेन सदस्यों को छोड़कर), प्रक्रिया के, नियम और अन्य मामलों का निर्वहन ऐसे किया जायेगा, जैसा राज्य सरकार आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

अनुसूची

(नियम 18 देखें)

अधिनियम की धारा 19 के अधीन निर्बल वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धावस्था आश्रम हेतु भौतिक सुविधाओं के मानक और संचालन के मानक।

एक - भौतिक सुविधाएं

- (1) भूमि। वृद्धावस्था आश्रम के लिए भूमि, सम्बन्धित शहरी निकाय/राज्य सरकार द्वारा विहित एफ०ए०आर० के अनुरूप होनी चाहिए। अर्द्धशहरी/ग्रामीण क्षेत्र के मामलों में राज्य सरकार वृद्धावस्था आश्रम के लिए अपेक्षित क्षमता के अनुसार भूमि उपलब्ध करा सकती है।
- (2) निर्वाह हेतु स्थान। वृद्धावस्था आश्रम में प्रति सहवासी यथासम्भव निम्नलिखित न्यूनतम मानकों के अनुसार होगा -
- (1) शयन कक्ष (बेडरूम)/डोरमैट्री का क्षेत्र - 7.5 वर्ग मीटर प्रति सहवासी
- (2) बैठक (निर्वाह) क्षेत्र या फर्श क्षेत्र अर्थात् जिसमें उपरोक्त (1) के अतिरिक्त एक रसोई, भोजन कक्ष, मनोरंजन कक्ष, चिकित्सा कक्ष इत्यादि हो, परन्तु इसमें बरामदा/ गलियारा (कोरीडोर) आदि सम्मिलित नहीं है - 12 वर्ग मीटर प्रति सहवासी

- (3) सुविधाएं। (1) वृद्धावस्था आश्रम में निम्नलिखित सुविधाएं होंगी :-
- (क) पुरुष एवं महिलाओं के लिए अलग-अलग आवासीय कक्ष/डोरमेट्री;
 - (ख) पीने के लिए और सहायक प्रयोजनों के लिए पर्याप्त जल;
 - (ग) सहवासियों के लिए विद्युत, पंखे और आवश्यकतानुसार गर्म करने की व्यवस्था;
 - (घ) रसोई घर सह भण्डार गृह तथा कार्यालय;
 - (ङ) भोजन कक्ष;
 - (च) विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयुक्त प्रसाधन सहित समुचित संख्या में प्रसाधन और स्नानागृह;
 - (छ) मनोरंजन सुविधाएं, टेलीविजन, समाचार-पत्र तथा पुस्तकों का पर्याप्त संकलन; और
 - (ज) प्राथमिक सहायता, रोगी कक्ष और प्राथमिक स्वास्थ्य देख-रेख की सुविधाएं।
- (2) वृद्धावस्था आश्रम रैम्प और रेलिंग की सुविधा सहित अवरोध मुक्त होना चाहिए और जहाँ आवश्यक हो, लिफ्ट आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

दो - परिचालन मानक

- (1) राज्य सरकार द्वारा नियत मात्रा के अनुसार पौष्टिक एवं स्वास्थ्यप्रद आहार की आपूर्ति;
- (2) समवासियों के लिए शरद ऋतु के वस्त्रों सहित पर्याप्त वस्त्र और चादरें (लिनेन);
- (3) सफाई, स्वास्थ्य, निगरानी और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था;
- (4) आपातकालीन चिकित्सा सुविधा के लिए निकटतम राजकीय अस्पताल और अपेक्षित सुरक्षा के लिए निकटतम पुलिस की व्यवस्था।

आज्ञा से,

एस0 राजू,
प्रमुख सचिव एवं आयुक्त।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1425/XVII-2/2011-01 (14)/2008, Dehradun, dated December 19, 2011 for general information :

No. 1425/XVII-2/2011-01(14)/2008
Dated Dehradun, December 19, 2011

NOTIFICATION

THE UTTARAKHAND MAINTENANCE AND WELFARE OF PARENTS AND SENIOR CITIZENS RULES, 2011

In exercise of the powers conferred by section 32 of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (Central Act No. 56 of 2007), the Governor is pleased to make the following rules, namely:-

CHAPTER- I

Preliminary

- | | | |
|--|----|---|
| Short Title, Extent and Commencement. | 1. | (1) These rules may be called The Uttarakhand Maintenance of Parents and Senior Citizens Rules, 2011.
(2) They shall come into force at once.
(3) They shall extend to the whole of Uttarakhand. |
| Definitions. | 2. | (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-
(a) "Act" means the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (56 of 2007);
(b) "application" means an application made to a tribunal under section 5;
(c) "blood relations", in the context of a male and a female inmate, means father-daughter, mother-son, and brother-sister (not cousins);
(d) "Form" means a form appended to these rules;
(e) "inmate", in relation to an old age home, means a senior citizen duly admitted to reside in such a home;
(f) "opposite party" means the party against whom an application for maintenance has been filed under section 4;
(g) "Presiding Officer" means an officer appointed to preside over a Maintenance Tribunal referred to under sub-section (2) of section 7, or an Appellate Tribunal under sub-section (2) of section 15; |

- (h) "Schedule" means a Schedule appended to these rules;
 - (i) "section" means a section of the Act;
 - (j) "State Government" means the Government of Uttarakhand
- (2) Words and expressions defined in the Act but not defined in these rules shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

Chapter II

Procedure for Maintenance Tribunal and Conciliation Officers

Panel for reappointment as Conciliation Officers

3. (1) Every Tribunal shall prepare a panel to persons suitable for appointment as Conciliation Officer under sub-section (6) of section 6, which shall include the Maintenance Officers designated under section 18.
- (2) Persons referred to under sub-rule (1), other than Maintenance Officers designated under section 18, shall be chosen subject to fulfilling the following conditions, namely:-
- (a) he should be associated with an organisation which is working for the welfare of senior citizens and/or weaker sections, or in the area of education, health, poverty-alleviation, women-empowerment, social welfare, rural development or related fields, for at least two years with an unblemished record of service;
 - (b) he should be a senior office-bearer of the organisation; and
 - (c) he should possess good knowledge of law;

Provided that a person who is not associated with an organisation of the kind mentioned above, may also be included in the panel mentioned in sub-rule (1) subject to fulfilling the following conditions, namely:-

- (i) he must have a good and unblemished record of public service in one or more of the areas mentioned in clause (a); and
- (ii) he should possess good knowledge of law.

**Procedure for filing
an application for
maintenance and its
registration.**

**Preliminary
Scrutiny of
the application**

- (3) The Tribunal shall publish the panel mentioned in sub-rule (1) for general information at least twice every year, on 1st January and 1st July, respectively, and every time any change is effected therein.
4. (1) An application for maintenance under section 4 shall be made in Form 'A' (as prescribed by the State Government) in the manner laid down in clauses (a) and (b) of sub-section (1) of section 5.
- (2) On receipt of an application under sub-rule (1), the Presiding Officer shall cause:
- (a) Its essential details to be entered in a Register of Maintenance Claim Cases, to be maintained in such form as the State Government may direct, and
- (b) its acknowledgment in Form 'B' (as prescribed by the State Government), to be given, notwithstanding anything contained in rule 5, to the applicant or his authorised representative in case of hand delivery, and its despatch by post in other cases and the acknowledgement shall specify, inter alia, the registration number of the application.
- (3) Where a Tribunal takes cognizance of a maintenance claim, *suo motu*, the Presiding Officer shall, after ascertaining facts, get Form 'A' (as prescribed by the State Government), completed as accurately as possible, through the staff of the Tribunal, and shall, as far as possible, get it authenticated by the concerned senior citizen or parent, or any person or organisation authorised by him and shall cause the same to be registered in accordance with clause (a) of sub-rule (2).
5. (1) On receipt of an application under sub-section (1) of section 5, the Tribunal shall satisfy itself that-
- (a) the application is complete; and
- (b) the opposite party has, prima facie, an obligation to maintain the applicant in terms of section 4.
- (2) In case where the Tribunal finds any lacunae in the application, it may direct the applicant to rectify such lacunae within a reasonable time limit.

**Notice to the
Opposite Party**

6. (1) Once the Tribunal is satisfied on the points mentioned in sub-rule (1) of rule 5, it shall cause to be issued to each person against whom an application for maintenance has been filed, a notice in Form 'C' (as prescribed by the State Government) directing them to show cause why the application should not be granted, along with a copy of the application and its enclosures, in the following manner:-
- (a) by hand delivery through the applicant, if he so desires, else through a process server; or
- (b) by registered post with acknowledgement due.
- (2) The notice shall require the opposite party to appear in person, on the date to be specified in the notice and to show cause, in writing, as to why the application should not be granted and shall also inform that, in case he fails to respond to it, the Tribunal shall proceed ex parte.
- (3) Simultaneously with the issue of notice under sub-rules (1) and (2), the applicant (s) shall also be informed of the date mentioned in sub-rule (2), by a notice issued in Form 'D' (as prescribed by the State Government)
- (4) The provisions of Order V of the Civil Procedure Code, 1908, shall apply, mutatis mutandis, for the purpose of service of notice under sub-rules (2) and (3).

**Procedure in case
of non-appearance
by the Opposite
Party**

7. In case, despite service of notice, the opposite party fails to show cause in response to a notice, the Tribunal shall proceed **ex parte**, by taking evidence of the applicant and making such other inquiry as it deems fit, and shall pass an order disposing of the application.

**Procedure in case
of admission of
claim**

8. In case, on the date fixed in the notice issued under rule 6, the opposite party appears and accepts his liability to maintain the applicant, and the two parties arrive at a mutually agreed settlement, the Tribunal shall pass an order accordingly.

**Procedure for
impleading
children or
relatives**

9. (1) An application by the opposite party, under the proviso to sub-section (5) of section 5, to implead any other child or relative of the applicant shall be filed on the first date of hearing as specified in the notice issued under sub-rule (2) of rule 6;

Provided that no such application shall be entertained after such first hearing, unless the opposite party shows sufficient cause for filing it at a later stage.

- (2) On receipt of an application under sub-rule (1), the Tribunal shall, if it is prima facie satisfied, after hearing the parties, about the reasonableness of such application, issue notice of such other child or relative to show cause why they should not be impleaded as a party, and shall after giving them an opportunity of being heard, pass an order regarding their impleadment or otherwise.

- (3) In case the Tribunal passes an order of impleadment under sub-rule (2), it shall cause a notice to be issued to such impleaded party in Form "C" (as prescribed by the State Government) in accordance with rule 6.

**Reference to
Conciliation
Officer**

10. (1) In case, on the date fixed in the notice issued under rule 6, the opposite party appears and shows cause against the maintenance claim, the Tribunal shall seek the opinion of both the parties as to whether they would like the matter to be referred to a Conciliation Officer and if they express their willingness in this behalf, the Tribunal shall ask them whether they would like the matter to be referred to a person included in the panel prepared under rule 3 or to any other person acceptable to both the parties.

- (2) If both the parties agree on any person, whether included in the panel under rule 3 or otherwise, the Tribunal shall appoint such person as the Conciliation Officer in the case, and shall refer the matter to him, through a letter in Form 'E' (as prescribed by the State Government) requesting the

Conciliation Officer to try and work out a settlement acceptable to both the parties, within a period not exceeding one month from the date of receipt of the reference.

- (3) The reference in Form 'E' (as prescribed by the State Government) shall be accompanied with copies of the application and replies of the opposite party thereto.

**Proceedings by
Conciliation Officer**

11. (1) Upon receipt of a reference under rule 10, the Conciliation Officer shall hold meetings with the two parties as necessary, and shall try to work out a settlement acceptable to both the parties, within a period of one month from the date of receipt of the reference.
- (2) If the Conciliation Officer, succeeds in working out a settlement acceptable to both the parties, he shall draw up a memorandum of settlement in Form 'F' (as prescribed by the State Government) get it signed by both parties, and forward it, with a report in Form 'G', (as prescribed by the State Government) along with all records of the case received from the Tribunal, back to the Tribunal within a month from the receipt of the reference.
- (3) If the Conciliation Officer is unable to arrive at a settlement within one month of receipt of a reference under rule (10), he shall return the papers received from the Tribunal along with a report in Form 'H' (as prescribed by the State Government), showing efforts made to bring about a settlement and the points of difference between the two parties which could not be reconciled.

**Action by the
Tribunal in case
of settlement
before
a Conciliation
Officer**

12. (1) In case, the Tribunal receives a report from the Conciliation Officer under sub-rule (2) of Rule 11, along with a memorandum of settlement, it shall give notice to both the parties to appear before it on a date to be specified in the notice, and confirm the settlement.
- (2) In case on the date specified in the notice as above, the parties appear before the Tribunal and confirm the settlement arrived at before the Conciliation Officer, the Tribunal shall pass a final order as agreed in such settlement.

**Action by the
Tribunal in
other cases**

13. (1) In case, :-

- (a) the applicant(s) and the opposite parties do not agree for reference of their dispute to a Conciliation Officer as per rule 10, or
- (b) the Conciliation Officer appointed under rule 10 sends a report under sub-rule (3) of rule 11, conveying inability to work out a settlement acceptable to both the parties, or
- (c) no report is received from a Conciliation Officer within the stipulated time-limit of one month, or
- (d) in response to the notice issued under sub-rule (1) rule 12, one or both the parties decline to confirm the settlement worked out by the Conciliation Officer, the Tribunal shall give to both the parties an opportunity of pleading evidence in support of their respective claims, and shall, after a summary inquiry as provided in sub-section (1) of section 8. pass such order as it deems fit.

(2) An order passed under rule 7, rule 8 or under sub-rule (1) above shall be a speaking one, spelling out the facts of the case as ascertained by the Tribunal, and the reasons for the order.

(3) While passing an order under sub-rule (1), directing the opposite party to pay maintenance to an applicant, the Tribunal shall take the following into consideration:-

- (a) amount needed by the applicant to meet his basic needs, especially food, clothing, accommodation, and healthcare,
- (b) income of the opposite party, and
- (c) value of, and actual and potential income from the property, if any, of the applicant which the opposite party would inherit and/or is in possession of.

(4) A copy of every order passed, whether final or interim, on an application, shall be given to the applicant(s) and the opposite party or their representatives, in person, or shall be sent to them through a process server or by registered post.

Maximum maintenance allowance

14. The maximum maintenance allowance which a Tribunal may order the opposite party to pay shall, subject to a maximum of rupees ten thousand per month, be fixed in such a manner that it does not exceed the monthly income from all sources of the opposite party, divided by the number of persons in his family, counting the applicant or applicants also among the opposite party's family members.

CHAPTER III

Procedure of Appellate Tribunal

Form of appeal

15. An appeal under sub-section (1) of section 15 shall be filed before the Appellate Tribunal in Form 'I' (as prescribed by the State Government), and shall be accompanied by a copy of the impugned order of the Maintenance Tribunal.

Registration and acknowledgement of appeal

16. On receipt of an appeal, the Appellate Tribunal shall register it in a register to be maintained for the purpose in such form as the State Government may direct, and shall, after registering such appeal, give an acknowledgement to the appellant, specifying the appeal number and the next date of hearing, in Form 'J' (as prescribed by the State Government).

Notice of hearing to the respondent

17. (1) On receipt of an appeal, the Appellate Tribunal shall, after registering the case and assigning an appeal number, cause notice to be served upon the respondent under its seal and signature in Form 'K' (as prescribed by the State Government),.
- (2) The notice under sub-rule (1) shall be issued through registered post with acknowledgement due, or through a process server.
- (3) The provisions of Order V of the Civil Procedure Code shall apply *mutatis mutandis* for the purpose of service of notice issued under sub-rule (1).

CHAPTER IV

Scheme for Management of old age homes established under section 19

Scheme for management of old age homes for indigent senior citizens

18. (1) Old age homes established under section 19 shall be run in accordance with the following norms and standards:-

(A) The homes shall have physical facilities and shall be run in accordance with the operational norms as laid down in the Schedule.

(B) Inmates of the home shall be selected in accordance with the following procedure:-

(a) applications shall be invited at appropriate intervals, but at least once each year, from indigent senior citizens, as defined in section 19 of the Act, desirous of living in the home;

(b) in case the number of eligible applicants on any occasion is more than the number of places available in a home for admission, selection of inmates will be made in the following manner:-

(i) the more indigent and needy will be given preference over the less indigent applicants,

(ii) other things being equal, older senior citizens will be given preference over the less old and,

(iii) other things being equal, female applicants will be given preference over male applicants.

Illiterate and/or very infirm senior citizens may also be admitted without any formal application, if the District Magistrate or other competent authority, designated by him for the purpose, is satisfied that the senior citizen is not in a position to make a formal application, but is badly in need of shelter;

(C) While considering applications or cases for admission, no distinction shall be made on the basis of religion or caste ;

(D) The home shall provide separate lodging for men and women inmates, unless a male and a female inmate are either blood relations or a married couple;

(E) Day-to-day affairs of the old age home shall be managed by a Management Committee which shall be constituted in accordance with the orders and guidelines issued by the State Government from time to time, such that inmates are also suitably represented on the Committee.

(2) State Government may issue detailed guidelines/orders from time to time for admission into and management of old age homes in accordance with the norms and standards laid down in sub-rule (1) and the Schedule.

CHAPTER V

Duties & Powers of the District Magistrate

Duties and powers of the District Magistrate

19. (1) The District Magistrate shall perform the duties and exercise the powers mentioned in sub-rules (2) and (3) so as to ensure that the provisions of the Act are properly carried out in his district.
- (2) It shall be the duty of the District Magistrate to-
- (i) ensure that life and property of senior citizens of the district are protected and they are able to live with security and dignity;
 - (ii) oversee and monitor the work of Maintenance Tribunals and Maintenance Officers of the district with a view to ensuring timely and fair disposal of applications for maintenance and execution of Tribunal's orders;
 - (iii) oversee and monitor the working of old age homes in the district so as to ensure that they conform to the standards laid down in these rules, and any other guidelines and orders of the State Government;
 - (iv) ensure regular and wide publicity of the provisions of the Act, and Central and State Government's programmes for the welfare of senior citizens;

- (v) encourage and coordinate with panchayats, municipalities, Nehru Yuwa Kendras, educational institutions and especially their National Service Scheme Units, organisations, specialists, experts, activists, etc. working in the district so that their resources and efforts are effectively pooled for the welfare of senior citizens of the district;
 - (vi) ensure provision of timely assistance and relief to senior citizens in the event of natural calamities and other emergencies;
 - (vii) ensure periodic sensitization of officers of various departments and Local Bodies concerned with the welfare of senior citizens, towards the needs of such citizens, and the duty of the officers towards the latter;
 - (viii) review the progress of investigation and trial of cases relating to senior citizens in the district, except in cities having a Police Commissioner.
 - (ix) ensure that adequate number of prescribed application for maintenance are available in offices of common contact of citizens like Panchayats, Post Offices, Block Development Offices, Tehsil Offices, Collectorate, Police Stations, etc;
 - (x) promote establishment of dedicated Helplines for senior citizens at district headquarters, to begin with; and
 - (xi) perform such other functions as the State Government may, by order, assign to the District Magistrate in this behalf, from time to time.
- (3) With a view to performing the duties mentioned in sub-rule (2), the District Magistrate shall be competent to issue such directions, not inconsistent with the Act, these rules, and general guidelines of the State Government, as may be necessary, to any concerned government or statutory agency or body working in the district, and especially to then following :-

- (a) Officers of the State Government in the Police, Health and publicity Departments, and the Department dealing with welfare of senior citizens;
- (b) Maintenance Tribunals and Conciliation Officers;
- (c) Panchayats and Municipalities; and
- (d) Educational institutions.

CHAPTER VI

Protection of life and Property of Senior Citizens

Action plan for the protection of life and property of senior citizens

20. (1) The District Superintendent of Police, and in the case of cities having a Police Commissioner, such Police Commissioner shall take all necessary steps, subject to such guidelines as the State Government may issue from time to time, for the protection of life and property of senior citizens.
- (2) Without prejudice to the generality of sub-rule (1), -
- (i) each police station shall maintain an up-to-date list of senior citizens living within its jurisdiction, especially those who are living by themselves (i.e. without there being any member in their household who is not a senior citizen);
 - (ii) a representative of the police station together, as far as possible, with a social worker or volunteer, shall visit such senior citizens at regular interval of at least once a month, and shall, in addition, visit them as quickly as possible on receipt of a request of assistance from them;
 - (iii) complaints / problems of senior citizens shall be promptly attended to, by the local Police;
 - (iv) one or more Volunteers' Committee (s) shall be formed for each Police Station which shall ensure regular contact between the senior citizens, especially those living by themselves, on the one hand, and the police and the district administration on the other;
 - (v) the District Superintendent of Police or, as the case may be, the Police Commissioner shall cause to be

- publicised widely in the media and through the Police Stations, at regular intervals, the steps being taken for the protection of life and property of senior citizens;
- (vi) each Police Station shall maintain a separate register containing all important particulars relating to offences committed against senior citizens, in such form as the State Government may, by order, specify;
- (vii) the register referred to in clause (vi) shall be kept available for public inspection, and every officer inspecting a Police Station shall invariably review the status as reflected in the register.
- (viii) the Police Station shall send a monthly report of such crimes to the District Superintendent of police by the 10th of every month;
- (ix) list of Do's and Dont's to be followed by senior citizens in the interest of their safety will be widely publicized;
- (x) antecedents of domestic servants and others working for senior citizens shall be promptly verified, on the request of such citizens;
- (xi) community policing for the security of senior citizens will be undertaken in conjunction with citizens living in the neighbourhood, Residents Welfare Associations, Youth Volunteers, Non-Government Organisations, etc;
- (xii) the District Superintendent of Police shall submit to the Director General of Police and to the District Magistrate, a monthly report by the 20th of every month, about the status of crime against senior citizens during the previous month, including progress of investigation and prosecution of registered offences, and preventive steps taken during the month;
- (xiii) the District Magistrate shall cause the report to be placed before the District-level Coordination-cum-Monitoring Committee constituted under rule 22;
- (xiv) The Director General of Police shall cause the reports

submitted under clause (xii) to be compiled, once a quarter, and shall submit them to the State Government every quarter as well as every year for, inter alia, being placed before the State Council of Senior Citizens constituted under rule 21.

CHAPTER VII

State Council and District Committees of Senior Citizens

State Council of Senior Citizens

21. (1) The State Government may, by order, constitute a State Council of Senior Citizens to advise the State Government on effective implementation of the Act and to perform such other functions in relation to senior citizens as the State Government may specify.
- (2) The State Council shall consist of the following members; namely :-
- (a) Minister of the State Government in charge of Welfare of senior citizens; - **Chairperson, ex officio**
 - (b) Secretaries of Departments of the State Government dealing with disabilities, Senior Citizen's Welfare, Health, Home, Publicity, Pensions, and other subjects of concern to the senior citizens; - **Members, ex officio**
 - (c) Such number of specialists and activists in the field of welfare of senior citizens, as the State Government may determine, to be nominated by the State Government; - **Members**
 - (d) Such number of eminent senior citizens, as the State Government may determine, but not less in number than the ex officio members in the Council, to be nominated by the State Government; - **Members**
 - (e) Director, Senior Citizen's Welfare of the State; - **Member Secretary**

- (3) The State Council shall meet at least once in six months.
- (4) Tenure of the members of the State Council, other than ex officio members, rules of procedure of the Council and other ancillary matters shall be such as the State Government may, by order, specify.
- District Committee of Senior Citizens** 22. (1) The State Government may, by order constitution, establish a District Committee of Senior Citizens for each district to advise on effective and coordinated implementation of the Act at the district level, and to perform such other functions in relation to senior citizens at the district level, as the State Government may specify.
- (2) The District Committee shall meet once every quarter.
- (3) Composition of the District Committee, tenure of members (other than ex officio members), rules of procedure and other ancillary matters shall be such as the State Government may, by order, specify.

SCHEDULE

(See Rule 18)

NORMS OF PHYSICAL FACILITIES AND OPERATIONAL STANDARDS FOR OLD AGE HOME FOR INDIGENT SENIOR CITIZENS ESTABLISHED U/S 19 OF THE ACT

1. Physical Facilities

1. Land

The land for the old age home should be adequate to comply with the Floor Area Ratio (FAR) as prescribed by the concerned Urban Body/State Government. In the case of semi-urban/rural areas, the State Government shall provide adequate land for setting up of an old age home of requisite capacity.

2. Living Space

The old age home shall, as far as possible, have minimum area per inmate as per the following norms:-

- | | | |
|---|---|----------------|
| (a) area of bedroom/dormitory per inmate | - | 7.5 sq. metres |
| (b) living area or carpet area per inmate i.e. including (i) above plus ancillary areas like kitchen, dining hall, recreation room, medical room, etc. but excluding verandahs, corridors, etc. | - | 12sq metres |

- 3. Facilities**
- (1) The old age home shall have the following facilities:-
- (a) residential area comprising rooms/dormitories separately for men and women;
 - (b) adequate water for drinking and ancillary purposes;
 - (c) electricity, fans and heating arrangement for inmates (as necessary);
 - (d) kitchen-cum-store and office;
 - (e) dining hall;
 - (f) adequate number of toilets and baths, including toilets suitable for disabled persons;
 - (g) recreation facilities, television, newspaper and an adequate collection of books; and
 - (h) first aid, sick bay, and primary healthcare facilities.
- (2) The old age home should be barrier-free with provision of ramps and handrails, and where necessary, lifts, etc.

II. Operational Standards

- (1) Supply of nutritious and wholesome diet as per scale to be fixed by the State Government.
- (2) Adequate clothing and linen for the inmates, including for the winter season.
- (3) Adequate arrangements for sanitation, hygiene, and watch and ward/ security.
- (4) Arrangements with the nearest Government hospital for emergency medical care, and with the nearest Police Station for security requirements.

By Order,

S. RAJU,

Principal Secretary & Commissioner.